रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-16012023-241997
CG-GJ-E-16012023-241997

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
No. 24] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

**अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण**

**अधिसूचना**

गांधीनगर, 12 जनवरी, 2023

**अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा उत्पाद और मूल्य निर्धारण) विनियम, 2022**

**आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी029**.—अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 3, 12 और 13 के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् -

**अध्याय I सामान्य**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -**

(1) इन नियमों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा उत्पाद और मूल्य निर्धारण) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(3) ये विनियम पुनर्बीमा व्यवसाय के लेन-देन में कार्यरत आईआईओ को छोड़कर सभी आईआईओ पर लागू होंगे।

**स्पष्टीकरण:** यदि कोई आईआईओ प्रत्यक्ष बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय दोनों के लेन-देन में लगा हुआ है, तो ये नियम ऐसे आईआईओ के प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में ही लागू होंगे।

2. **उद्देश्य** –

**1.** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों (आईआईओ) द्वारा बीमा उत्पादों के डिजाइन और मूल्य निर्धारण के लिए रूपरेखा प्रदान करना।

**2.** यह सुनिश्चित करना कि आईआईओ ने प्रभावी आंतरिक प्रणाली और नियंत्रण स्थापित कर लिया है-

(क) उत्पाद के डिजाइन के समय और उत्पाद के जीवन चक्र के दौरान उत्पाद से संबंधित जोखिमों और मुद्दों को पहचानने और कम करने के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान करना, इसमें लक्ष्य बाजार की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उचित वितरण रणनीति प्रदान करना शामिल है; और

(ख) बीमा उत्पादों के डिजाइन और मूल्य निर्धारण के दौरान पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना।

3. **परिभाषाएं -**

**(1)** इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) **"अधिनियम"** का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) है;

(ख) **"प्राधिकरण" या "आईएफएससीए"** का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

(ग) **बोर्ड"** का अर्थ है आईआईओ के निदेशक मंडल या आईआईओ की एंटिटी के बोर्ड से है, यदि आईआईओ आईएफएससी में शामिल नहीं है;

(घ) **""डिजिटल हस्ताक्षर"** का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में इसे दिया गया है;

(ङ) **"ई-बीमा खाता" या "ईआईए"** एक इलेक्ट्रॉनिक खाता है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा बीमा रिपॉजिटरी के साथ खोला जाता है जहां पॉलिसीधारक की बीमा पॉलिसियों के पोर्टफोलियो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं;

(च) .**"ई-हस्ताक्षर" या "इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर"** का अर्थ वही होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000(2000 का 21) में इसे सौंपा गया है;

(छ) **"ई-प्रस्ताव" या "इलेक्ट्रॉनिक प्रस्ताव"** का अर्थ बीमा पॉलिसी के लिए संभावित ग्राहक द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में दायर किया गया प्रस्ताव है;

(ज) **"ई-बीमा पॉलिसी" या "इलेक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसी"** का अर्थ है एक ऐसी बीमा पॉलिसी जो कानून के लागू उपबंधों के अनुसार डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है और इलेक्ट्रॉनिक रूप में या तो सीधे पॉलिसीधारक को आईआईओ द्वारा या पंजीकृत बीमा रिपॉजिटरी के मंच के माध्यम से जारी की जाती है।

(झ) **"बीमा पॉलिसी"** का अर्थ एक दस्तावेज है जो एक आईआईओ द्वारा जारी किए गए बीमा अनुबंध का प्रमाण है;

(ञ) **"अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय या "आईआईओ"** का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) ) विनियम 2021 के विनियमन 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ट) के अधीन इसे निर्दिष्ट किया जाएगा;

(ट) **"मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ"** का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम **3** के उप-विनियम (1) के खंड (आर) के अधीन इसे दिया गया है।

(ठ) **निरीक्षण"** का अर्थ प्राधिकरण को प्रस्तुत रिटर्न या उसकी प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण है;

(ड) **"बीमा उत्पाद"** का अर्थ पॉलिसी धारक या संभावित ग्राहक को बेचा गया या बेचने के लिए प्रस्तावित बीमा का कोई अनुबंध है, जैसा भी मामला हो;

(ढ) **"रिटर्न"** का अर्थ है कोई भी जानकारी, सामग्री, वित्तीय या अन्यथा डेटा या विवरण, प्राधिकरण को भौतिक और/या इलेक्ट्रॉनिक रूप में मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से एकसमान आवधिकता में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, और जिसका प्रकटीकरण करने पर इस समय किसी भी कानून द्वारा वर्जन या छूट नहीं है, लेकिन प्राधिकरण द्वारा अपनी नियामक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मांगी गई जानकारी, सामग्री, डेटा या विवरण इसमें शामिल नहीं होंगे;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो अधिनियम की पहली अनुसूची में वर्णित अधिनियम या अधिनियमों या इनके अधीन बनाए गए किसी नियमों, विनियमों या अधिसूचनाओं में परिभाषित हैं, के अर्थ क्रमश: वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या किसी सांविधिक संशोधन या पुन:अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में उनके लिए नियत किए गए हैं।

**अध्याय II**

**उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया**

(4) आईआईओ के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'उत्पाद निगरानी और शासन नीति' होगी जो प्रासंगिक नियामक ढांचे के अनुसार होगी और इसमें ऐसे सुधारात्मक कदमों जो ऐसे बीमा उत्पादों के लिए लिए जाने आवश्यक हैं जो प्रत्याशाओं या पॉलिसी धारकों के लिए हानिकारक हैं, सहित बीमा उत्पादों के डिजाइन, अनुमोदन, निगरानी, समीक्षा और वितरण के तरीकों और प्रक्रियाओं का विवरण होगा।

**(1)** बीमा उत्पाद को डिजाइन करने के तरीके और प्रक्रियाएं;

**(2)** बीमा उत्पादों का अनुमोदन, निगरानी, समीक्षा और वितरण; और

**(3)** उन बीमा उत्पादों के लिए उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम जो संभावित ग्राहकों या पॉलिसी धारकों के हित के लिए हानिकारक हैं।

***स्पष्टीकरण:*** 'उत्पाद निगरानी और शासन पॉलिसी' आईआईओ द्वारा विपणन और वितरित किए जाने वाले बीमा उत्पाद के सभी पहलुओं को नियंत्रित करेगी और बीमा उत्पाद के लिए प्राधिकरण से कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं है, जब तक कि ऐसा निर्दिष्ट न किया गया हो।

*बशर्ते कि* आईआईओ किसी रुपांतरित या संशोधित उत्पाद सहित किसी पुनर्बीमा उत्पाद से भिन्न किसी बीमा उत्पाद के विपणन से पहले प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके से अंतिम पोलिसी शब्द प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

5. आईआईओ उत्पाद के बारे में प्रत्याशाओं की समझ पर विचार करते हुए बीमा उत्पादों को डिजाइन और विपणन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पाद उनकी दरों, सेवा शर्तों जो विधिवत रूप से अर्हता-प्राप्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित हो, प्रत्याशाओं की जरूरतों, विशेषताओं और उद्देश्यों के अनुकूल हैं।

*बशर्ते कि* आईआईओ द्वारा ऐसे बीमा उत्पादों का डिजाइन और विपणन आईएफएससीए (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम, 2021 के विनियम 10 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुपालन में होगा।

6. आईआईओ 'उत्पाद निगरानी और शासन पॉलिसी' के अनुरूप उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया के संबंध में उसके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में दस्तावेज़ और अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा।

7. बीमा उत्पादों को डिजाइन, विपणन या वितरण करते समय, आईआईओ:

(1) प्रत्याशा के उद्देश्यों, हितों और जरूरतों को ध्यान में रखेगा;

(2) यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पाद के नियम और शर्तें प्रत्याशा के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालें; और

(3) उत्पादों के वितरण में शामिल मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ के साथ हितों के टकराव, यदि कोई हो, का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना।

8. (1) आईआईओ, बीमा उत्पाद के विपणन या अनुकूलन से पहले, उत्पादों का उचित रूप से परीक्षण करेंगे, जिसमें प्रासंगिक परिदृश्य विश्लेषण शामिल है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं होगा।

(2) ऐसा परीक्षण लक्ष्य बाजार में महत्वपूर्ण परिवर्तन के मामले में भी किया जाएगा।

9. आईआईओ प्रस्तावित बीमा उत्पाद की दरों, नियमों और शर्तों के औचित्य सहित प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर किसी उत्पाद से संबंधित आवश्यक जानकारी, दस्तावेज़ या डेटा प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

10. यदि प्राधिकरण का विचार है कि उत्पाद इन विनियमों के अधीन अपेकक्षाओं के अनुरूप संभावित ग्राहकों या पॉलिसी धारकों के हित में नहीं है, तो यह उत्पाद के निलंबन, अनिवार्य संशोधन या वापसी सहित उचित कार्रवाई कर सकता है।

11. विनियम 10 में निर्दिष्ट प्राधिकरण के निर्देश प्राप्त होने पर, बीमाकर्ता ऐसे उत्पाद का उसी नाम से या किसी अन्य नाम से विपणन और वितरण तुरंत बंद कर देंगे।

## अध्याय III उत्पाद प्रबंधन

**12. बीमा उत्पाद शीर्षक और विशिष्ट पहचान संख्या:**

(1) आईआईओ यह सुनिश्चित करेगा कि बीमा उत्पाद में सभी दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर आईआईओ का नाम और उत्पाद का नाम हो। यह भी आवश्यक है कि अलग-अलग दस्तावेज़ों में प्रत्येक दस्तावेज़ के पृष्ठों की कुल संख्या के अनुसार पृष्ठ संख्या होनी चाहिए (अर्थात् 30 का 1, 30 का 2 और यदि उदाहरण के लिए दस्तावेज़ों में कुल पृष्ठ 30 हैं)।

(2) आईआईओ विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आवंटित किए बिना किसी भी बीमा उत्पाद का विपणन नहीं करेगा;

बशर्ते कि किसी विद्यमान बीमा उत्पाद में संशोधन या संशोधन के मामले में, एक अलग यूआईएन आवंटित किया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विपणन किया जा रहा बीमा उत्पाद पहले के बीमा उत्पाद का संशोधित संस्करण है।

(3) प्रत्येक आईआईओ यूआईएन जारी करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली/एल्गोरिदम तैयार करेगा और उसे प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

*बशर्ते कि* आईआईओ को यूआईएन जारी करने के लिए कार्यप्रणाली/एल्गोरिदम को बदलने की अनुमति नहीं है;

*बशर्ते आगे कि* मौजूदा आईआईओ इन विनियमों के जारी होने के एक महीने के भीतर प्राधिकरण को यूआईएन जारी करने के लिए ऐसी कार्यप्रणाली/एल्गोरिदम प्रस्तुत करेंगे।

13. **उत्पाद की वापसी:-**

(1) प्रत्येक आईआईओ ऐसे बीमा उत्पाद को वापस लेने की निर्धारित तिथि से कम से कम 3 महीने पहले प्राधिकरण को बीमा उत्पाद को वापस करने के अपने निर्णय की सूचना देगा।

(2) यदि सामान्य बीमा व्यवसाय करने वाला कोई आईआईओ किसी बीमा उत्पाद को वापस लेने का फैसला करता है, तो वह ऐसी पॉलिसी की समाप्ति तिथि से कम से कम 3 महीने पहले मौजूदा पॉलिसी धारकों को सूचित करेगा।

*बशर्ते कि* लागू नीतियां उनकी संबंधित समाप्ति तिथियों तक वैध रहेंगी।

**14. पॉलिसियों का निरसन और समर्पण**:

(1) जीवन बीमा पॉलिसी का पॉलिसीधारक किसी भी समय पॉलिसी के अधीन आवश्यक आईआईओ को पूर्व नोटिस देकर पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है, जिसे पॉलिसी में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार संसाधित किया जाएगा;

(2) प्रत्येक जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पॉलिसीधारक को इस तरह के विकल्प का प्रयोग करने की समय-सीमा और प्रीमियम की वापसी के प्रावधानों के साथ-साथ पॉलिसीधारक को फ्री लुक निरसन का विकल्प प्रदान करेगी;

(3) प्रत्येक सामान्य बीमा पॉलिसी में रद्द करने की समय-सीमा के साथ-साथ निरसन खंड और बीमा पॉलिसी को रद्द करने के लिए आधार शामिल होंगे;

(4) आईआईओ केवल धोखाधड़ी, गलत बयानी या नैतिक खतरों के आधार पर पॉलिसी को मध्यावधि में रद्द कर सकता है।

15. **शिकायत प्रबंधन:** प्रत्येक बीमा पॉलिसी में अनिवार्य रूप से आईआईओ की शिकायत प्रबंधन प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार होगी।

## अध्याय IV पॉलिसी सर्विसिंग

**16. ई-बीमा पॉलिसी जारी करना -**

**(1) प्रस्ताव प्रपत्र -**

क. आईआईओ भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो आईआईओ की 'उत्पाद निरीक्षण और शासन नीति' के अनुसार होगा, में प्रस्ताव प्ररूप तैयार करके उसका अनुरक्षण करेगा;

ख. प्रस्ताव प्रपत्र में इलेक्ट्रॉनिक बीमा खाता (ईआईए) संख्या, यदि उपलब्ध हो, को दर्ज करने का भी प्रावधान होगा;

ग. जहां प्रत्याशा के बारे में जानकारी भौतिक रूप में प्राप्त की जाती है, आईआईओ संभावित ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा;

घ. जहां पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने का प्रस्ताव है और प्रत्याशा बीमा रिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से पॉलिसी प्राप्त करने का इच्छुक है, तो आईआईओ प्रत्याशा के लिए ईआईए के सृजन को सुकर बनाएगा।

**(2) इलेक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसी जारी करना -**

क. प्रत्येक आईआईओ, इलेक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसी जारी करेगा जहां बीमित राशि 100 अमेरिकी डॉलर से अधिक है और/या प्रीमियम 10 अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो भी कम हो;

ख. आईआईओ पॉलिसीधारकों को सीधे या पंजीकृत बीमा रिपॉजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसी जारी करेगा;

बशर्ते कि आईआईओ पॉलिसी धारक द्वारा अनुरोध किए जाने पर पॉलिसी और प्रस्ताव प्ररूप की भौतिक प्रति प्रदान करेगा;

ग. बीमाधारक को इलेक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियों के साथ प्रस्ताव फॉर्म आदि भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जा सकता है।

घ. प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियों को जारी करने के लिए परिचालन ढांचे को निर्दिष्ट कर सकता है।

17. **बीमा पॉलिसी के हस्तांतरण या समनुदेशन की सूचना की पावती जारी करने के लिए शुल्क:** आईआईओ इसके द्वारा जारी की गई बीमा पॉलिसियों (ई-बीमा पॉलिसी सहित) के स्थानांतरण या समनुदेशन की पावती देने के लिए 5 अमेरिकी डॉलर (केवल पांच अमेरिकी डॉलर) से अधिक शुल्क एकत्र नहीं करेगा।

***स्पष्टीकरण:*** आईआईओ बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 में संदर्भित किसी भी अन्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए स्थानांतरण या असाइनमेंट के तथ्य को दर्ज करने सहित कोई अन्य शुल्क एकत्र नहीं करेगा।

18. **पंजीकरण, निरसन या नामांकन में परिवर्तन के लिए शुल्क:** जीवन बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत आईआईओ, पॉलिसी धारक द्वारा अपने स्वयं के जीवन पर जीवन बीमा (ई-बीमा पॉलिसी सहित), नामांकन के पंजीकरण, निरसन या परिवर्तन के लिए 5 अमेरिकी डॉलर (केवल पांच अमेरिकी डॉलर) से अधिक शुल्क नहीं लेगा।

***व्याख्या:***

(1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 में निहित नामांकन से संबंधित किसी भी अन्य सेवाओं के लिए आईआईओ कोई अन्य शुल्क नहीं लेगा;

(2) आईआईओ, पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी की शुरुआत में प्रस्ताव प्ररूप के माध्यम से किया गया नामांकन और आईआईओ द्वारा पॉलिसी दस्तावेज़ की अनुसूची में दर्ज किए गए नामांकन को मान्य पावती के रूप में स्वीकार करेगा।

## अध्याय V विविध

19. **विवरणियों की प्रतियों के निरीक्षण और आपूर्ति के लिए शुल्क:**

(1) **विवरणी की प्रति का निरीक्षण और आपूर्ति –**

(क) कोई भी व्यक्ति बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 20 की उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षण या किसी रिटर्न की प्रतिलिपि की मांग करता है, प्राधिकरण को एक आवेदन करेगा,

(ख) प्राधिकरण किसी भी विवरणी की प्रति के निरीक्षण या आपूर्ति के लिए 5 अमेरिकी डॉलर(केवल पांच अमेरिकी डॉलर) से अधिक का शुल्क नहीं ले सकता है,

(ग) प्राधिकरण शुल्क की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) कार्य दिवसों के भीतर आवेदक द्वारा निरीक्षण की तारीख का संकेत देगा या रिटर्न की प्रति, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करेगा।

(2) **आईआईओ द्वारा ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की प्रति की आपूर्ति -**

क. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 20 की उप-धारा (3) के अधीन आईआईओ के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद या समान दस्तावेजों की प्रति मांगने वाला कोई भी पॉलिसीधारक, आईआईओ को आवेदन करेगा,

ख. आईआईओ ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की प्रति प्रदान करने के लिए 5 अमेरिकी डॉलर (केवल पांच अमेरिकी डॉलर) से अधिक का शुल्क नहीं लेगा और लागू शुल्क की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) कार्य दिवसों के भीतर यह दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(3) उप-विनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट शुल्क, बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, जिसका विवरण प्राधिकरण या आईआईओ, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रदान किया जाएगा। उक्त शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक शुल्क या लेनदेन शुल्क को छोड़कर निवल राशि में किया जाएगा।

20. **रेफरल व्यवस्था:** आईआईओ, आईआईओ और रेफरल इकाई के बीच रेफरल व्यवस्था पर प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट नियामक ढांचे का पालन करेगा।

21. **सूचित करने की अपेक्षाएँ:** आईआईओ प्राधिकरण को अपने उत्पादों से संबंधित सूचना प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके, अंतराल और प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।

22. **प्रक्रियाओं आदि को निर्दिष्ट करने की शक्ति:** बीमा उत्पादों और उससे संबंधित मामलों के कार्यान्वयन, सुविधा और विनियमन के उद्देश्य के लिए, प्राधिकरण आईआईओ द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए मानदंड, विधियां, प्रक्रिया और तरीके निर्दिष्ट करेगा।

23. **कठिनाइयों को दूर करने और विनियमों के सख्त प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति:**

(1) इन विनियमों के प्रावधानों को लागू करने या उनकी व्याख्या करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण मार्गदर्शन नोट या परिपत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

(2) निर्दिष्ट अप्रतिदेय प्रसंस्करण शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन पर, प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान के सख्त प्रवर्तन को शिथिल कर सकता है।

24. **निरसन और बचत:**

(1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से ही, निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में लागू नहीं होंगे -

(क) बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डेटाबेस साझा करना) विनियम, 2010;

(ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नामांकन रद्द करने या नामांकन में परिवर्तन के पंजीकरण के लिए शुल्क) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (असाइनमेंट या स्थानांतरण की सूचना की प्राप्ति की लिखित पावती देने के लिए शुल्क) विनियम, 2015;

(घ) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिटर्न की प्रतियों की आपूर्ति के लिए निरीक्षण और शुल्क) विनियम, 2016;

(ङ) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ई-बीमा पॉलिसियां जारी करना) विनियम, 2016;

(च) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016;

(छ) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (गैर-लिंक्ड बीमा उत्पाद) विनियम, 2019;

(ज) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पाद) विनियम, 2019; और

(झ) सामान्य बीमा उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं पर दिनांक 18 फरवरी 2016 की बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण दिशानिर्देश संदर्भ संख्या आईआरडीएआई/एनएल/जीडीएल/एफ&यू/030/02/2016।

(ञ) स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद फाइलिंग पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों की दिनांक 29 जुलाई, 2016 की संदर्भ संख्या आईआरडीए/एचएलटी/आरईक्यू/सीआईआर/150/07/2016।

(2) इन विनियमों के प्रारंभ होने पर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों का संचालन) दिशानिर्देश, 2021 के अध्याय - 6 के खंड 4 का लोप हो जाएगा।

(3) जब तक कि इन विनियमों में अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता, इन विनियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन विनियमों के लागू होने से पहले किए गए बीमा अनुबंध अमान्य समझ लिए जाएंगे।

(4) इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले किसी आईएफएससी में संचालित आईआईओ, इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट इस प्रकार की विस्तारित अवधि के भीतर इन विनियमों में निर्दिष्ट अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./553/2022-23]

**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**
**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 12th January, 2023

**International Financial Services Centres Authority (Insurance Products and Pricing) Regulations, 2022**

**IFSCA/2022-23/GN/REG029. -** In exercise of the powers conferred by Section 28 read with sections 3, 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely -

**Chapter I General**

1. **Short title, commencement and applicability -**

(1) These regulations may be called the International Financial Services Centre Authority (Insurance Products and Pricing) Regulations, 2022.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These regulations shall be applicable to IIOs excluding those engaged in transacting of re-insurance business.

***Explanation-*** Where an IIO is engaged in transacting both, direct as well as re-insurance business, these regulations shall be applicable only in respect of direct insurance business.

2. **Objectives –**

(1) To provide framework for designing and pricing of insurance products by the International Financial Service Centre Insurance Offices (IIOs).

(2) To ensure that the IIOs have put in place effective internal systems and control to-

(a) provide adequate capacity to identify and mitigate product related risks and issues from the time of design of the product and throughout the life cycle of the product, including providing appropriate distribution strategies taking into account the target market characteristics; and

(b) protect the interests of policyholders while designing and pricing of insurance products.

3. **Definitions –**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires –

(a) **"Act"** means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(b) **"Authority" or "IFSCA"** means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;

(c) **"board"** means the board of directors of an IIO, or the Board of the Parent Entity of an IIO, in case the IIO is in an unincorporated form;

(d) **"Digital Signature"** shall have the same meaning as assigned to it in Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(e) **"e-Insurance Account" or "eIA"** means an electronic account opened by a person with an insurance repository where the portfolios of insurance policies of a policyholder are held in electronic form;

(f) **"e-signature" or "electronic signature"** shall have the same meaning as assigned to it in Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(g) **“e-proposal” or “electronic proposal”** means a proposal for an insurance policy filed in electronic form by the prospect with his electronic signature;

(h) **“e-insurance policy” or “electronic insurance policy”** means an insurance policy that is digitally signed in accordance with the applicable provisions of law and issued in an electronic form either directly to the policyholder by the IIO or through the platform of registered Insurance repository;

(i) “**insurance policy**” means a document which is an evidence of contract of insurance issued by an IIO;

(j) “**International Financial Services Centre Insurance Office”** or **“IIO**” shall have the same meaning as assigned to it under clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations 2021;

(k) **“intermediary or insurance intermediary”** shall have the same meaning as assigned to it under clause (r) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) Regulations, 2021;

(l) **“inspection”** means inspection of returns or certified copies thereof submitted to the Authority;

(m) **“insurance product” or “product”** means any contract of insurance sold or proposed to be sold to a policy holder or prospect, as the case may be;

(n) “**return**” means any information, material, data or statement, financial or otherwise mandated to be submitted by the regulated entities to the Authority in physical and/or electronic form in uniform periodicity, whether monthly, quarterly, half yearly, or annually and the disclosure of which is not barred or exempted by any law for the time being in force; but shall not include the information, material, data or statements called for by the Authority in exercise of its regulatory powers;

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or any rules, regulations or notifications made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

## CHAPTER II

## Product Approval Process

4. An IIO shall have a board approved policy known as ‘Product Oversight and Governance Policy’ prepared in accordance with applicable regulatory framework, which shall *inter-alia* contain the provisions related to -

(1) methods and processes for designing of the insurance product;

(2) approval, monitoring, reviewing and distribution of insurance products; and

(3) corrective steps to be taken for insurance products that are detrimental to the interest of prospects or policy holders.

***Explanation*:** The ‘Product Oversight and Governance Policy’ shall govern all aspects of an Insurance Product to be marketed and distributed by an IIO, and as such no approval for an Insurance Product is required from the Authority, unless so specified.

*Provided that* the IIO shall submit the final policy wording to the Authority, before marketing of an insurance product, other than a re-insurance product, including any modified or revised product, in such manner as may be specified by the Authority.

5. An IIO shall design and market insurance products considering the understanding of the prospects about the product and ensure that products are compatible with the needs, characteristics and objectives of the prospects including justification of the rates, terms and conditions thereof which shall be duly certified by a qualified actuary.

*Explanation:* Any designing and marketing of such insurance product by an IIO shall also be in compliance with provisions of sub-section (1) of section 3 of the Insurance Act, 1938 read with regulation 10 of the IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021.

6. An IIO shall maintain the documents and records relating to the actions taken by it in relation to product approval process, in line with ‘Product Oversight and Governance Policy.’

7. While designing, marketing or distributing an insurance products, the IIO shall:

(1) take into account the objectives, interests and needs of the prospect;

(2) ensure that the terms and conditions of the product does not adversely affect the interest of prospect; and

(3) ensure proper management of conflict of interest, if any, with the intermediary or insurance intermediary involved in distribution of the products.

8. (1) An IIO, before marketing or adapting an insurance product, shall test the product appropriately, including but not limited to, scenario analysis where relevant.

(2) Such test shall also be carried out in case of significant change in the target market.

9. An IIO shall submit to the Authority requisite information, documents or data relating to a product, as and when sought by the Authority, including justification of the rates, terms and conditions of insurance product offered.

10. If the Authority is of the view that the product is not in conformity with the requirements under these regulations, and/or not in the interest of prospects or policy holders, it may take appropriate action, including suspension, mandating modification or withdrawal of the product.

11. Upon receipt of direction of the Authority referred to in regulation 10, the IIO shall forthwith stop marketing and distributing such product either in the same name or under any other name.

## CHAPTER III
## PRODUCT MANAGEMENT

12. **Insurance Product title and Unique Identification Number:**

(1) An IIO shall ensure that the insurance product carries the IIO's name and product's name in all pages of all the documents. It is also necessary that separate documents must carry page numbers as that of the total number of pages of each document (i.e. 1 of 30, 2 of 30 and so on if, for example, the total pages in the documents are 30).

(2) An IIO shall not market any insurance product without allotting a Unique Identification Number (UIN);

*Provided that* in case of modification or revision of an existing insurance product, a separate UIN shall be allotted, clearly indicating that the insurance product being marketed is revised version of an earlier insurance product.

(3) An IIO shall device its own methodology / algorithm for issuance of UIN and submit the same to the Authority.

*Provided that* IIOs are not permitted to change the methodology / algorithm for issuance of UIN;

*Provided further that* the existing IIOs shall develop methodology / algorithm for issuance of UIN and submit the same to the Authority, within one month from the notification of these regulations.

13. **Product Withdrawal**:-

(1) An IIO shall inform the Authority it's decision to withdraw an insurance product at least 3 months prior to the scheduled date of withdrawal.

(2) In case an IIO transacting general insurance business decides to withdraw an insurance product, it shall inform the existing policy holders at least 3 months prior to the expiry date of such policy,

*Provided that* the policies in force shall be valid till their respective expiry dates.

14. **Cancellation or Surrender of Policies:**

(1) The policyholder of life insurance policy or general insurance policy may surrender or cancel the policy, as the case may be, at any time by giving prior notice to IIO as required under the policy, which shall be processed as per terms and conditions of such policy;

(2) Every life and health insurance policy shall provide free look cancellation option to the policyholder along with the timelines for exercising such option and provisions for refund of premium;

(3) Every general insurance policy shall contain the cancellation clause and grounds leading to cancellation of an insurance policy along with the timelines for cancellation;

(4) The IIO may cancel the insurance policy mid-term only on the grounds of fraud, misrepresentation or moral hazards.

15. **Grievance Management**: Every insurance policy shall necessarily specify the grievance management procedures of an IIO, which shall be in accordance with the principles as specified by the Authority.

## CHAPTER IV

## POLICY SERVICING

16. **Issuance of e-Insurance Policies –**

(1) **Proposal form –**

(a) An IIO shall create and maintain proposal forms either in physical or in electronic mode, which shall be in accordance with its 'Product Oversight and Governance Policy';

(b) The proposal form shall also have a provision to capture the electronic Insurance Account (eIA) number, if available;

(c) Where the information about the prospect is captured in physical form, the IIO shall make necessary arrangements to convert the information furnished by prospects into electronic form;

(d) Where the policy is proposed to be issued in electronic form and the prospect is willing to get the policy through the Insurance Repository System, the IIO shall facilitate creation of eIA for the prospect.

(2) **Issuance of Electronic Insurance Policies -**

(a) An IIO, shall issue electronic insurance policy where the sum assured is more than USD 100 and/or premium is more than USD 10, whichever is lower;

(b) An IIO shall issue the electronic insurance policy to the policyholders directly or through the registered insurance repositories;

Provided that the IIO shall provide physical copy of the policy and proposal form if so requested by the policy holder;

(c) The proposal form etc. may also be sent in electronic form to the insured along-with electronic insurance policies;

(d) The Authority may specify operational framework for issuance of electronic insurance policies.

17. **Fee for issuing acknowledgement of Notice of Transfer or Assignment of insurance policy:** An IIO shall collect fee not more than USD 5 (USD Five only) for granting acknowledgement of notice of transfer or assignment of the insurance policies issued by it (including e-insurance policies).

***Explanation:*** An IIO shall not collect any other fee for rendering any other services referred to in section 38 of the Insurance Act, 1938, including recording the fact of the transfer or assignment.

18. **Fee for Registration, Cancellation or Change of Nomination:** An IIO registered to transact life insurance business shall collect fee of not more than USD 5 (USD Five only) for registering, cancellation or change of the nomination by the holder of a policy of life insurance (including e-insurance policies), on his own life.

***Explanation:***

(1) An IIO shall not collect any other fee, towards any other services relating to nomination contained in section 39 of the Insurance Act, 1938;

(2) The nomination effected by the policy holder at the inception of the policy through the proposal form and recorded by the IIO in the schedule of a policy document shall be considered as a valid acknowledgement by the IIO.

## CHAPTER V

## MISCELLANEOUS

19. **Fee for inspection and supply of copies of returns:**

(1) **Inspection and supply of copy of return –**

(a) Any person seeking inspection or copy of any return related to an IIO under sub-section (1) of section 20 of the Insurance Act, 1938, shall make an application to the Authority;

(b) The Authority may charge fee of not more than USD 5 (USD Five only) for inspection or supply of copy of any return;

(c) The Authority shall indicate a date of inspection by the applicant or shall furnish a copy of the return, as the case may be, within thirty (30) working days from the date of receipt of the fee.

(2) **Supply of a copy of Memorandum and Articles of Association by the IIO -**

(a) Any policyholder seeking a copy of Memorandum and Articles of Association or similar documents of an IIO under sub-section (3) of section 20 of the Insurance Act, 1938, shall make an application to the IIO;

(b) The IIO may charge fee of not more than USD 5 (USD Five only) for providing copy of each such document and shall furnish the same within thirty (30) working days from the date of receipt of the applicable fee.

(3) The fee referred to in sub-regulation (1) and (2), shall be remitted through electronic mode to the bank account, details of which shall be provided by the Authority or the IIO, as the case may be. The said fee shall be paid in net, excluding any bank charges or transaction fee.

20. **Referral arrangements:** An IIO shall comply with regulatory framework on referral arrangements between the IIO and the referral entity, as may be specified by the Authority.

21. **Reporting requirements**: An IIO shall furnish information related to its products to the Authority, in such manner, interval and in such format, as may be specified by the Authority.

22. **Power to specify procedures etc.:** For the purpose of implementation, facilitation and regulation of insurance products and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes and manners for compliance by IIOs.

23. **Power to remove difficulties and relax strict enforcement of the regulations:**

(1) In order to remove any difficulty in the application or interpretations of the provisions of these regulations, the Authority may issue clarifications through guidance notes or circulars.

(2) On an application, received along with the specified non-refundable processing fees, the Authority, may for the reasons to be recorded in writing, relax the strict enforcement of any of the provisions of these regulations.

24. **Repeals and saving:**

(1) On and from the commencement of these regulations, following regulations and guidelines cease to apply in the International Financial Services Centre -

(a) the Insurance Regulatory and Development Authority (Sharing of Database for Distribution of Insurance Products) Regulations, 2010;

(b) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Fee for Registering Cancellation or Change of Nomination) Regulations, 2015;

(c) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Fee for granting written acknowledgement of the receipt of Notice of Assignment or Transfer) Regulations, 2015;

(d) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Inspection and Fee for Supply of Copies of Returns) Regulations, 2016;

(e) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of e-Insurance Polices) Regulations, 2016;

(f) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Health Insurance) Regulations, 2016;

(g) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Non-Linked Insurance Products) Regulations, 2019;

(h) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (*Unit Linked Insurance Products*) *Regulations*, *2019; and*

(i) the Insurance Regulatory and Development Authority guidelines bearing reference no. IRDAI/NL/GDL/F&U/030/02/2016 dated 18th February 2016 on Product Filing Procedures for General Insurance Products.

(j) the Insurance Regulatory and Development Authority guidelines bearing reference no. IRDA/HLT/REG/CIR/150/07/2016 dated 29th July 2016 on Product Filing in Health Insurance Business.

(2) On and from the commencement of these regulations, Clause 4 of Chapter – 6 of International Financial Services Centres Authority (Operations of International Financial Services Centres Insurance Offices) Guidelines, 2021, shall stand omitted.

(3) Unless otherwise provided for in these regulations, nothing in these regulations shall be deemed to invalidate contracts of insurance entered prior to these regulations coming into force.

(4) IIOs operating in an International Financial Services Centre prior to the commencement of these regulations, shall comply with the additional requirements specified in these regulations, within a period of one month from the commencement of these regulations or within such extended period as may be specified by the Authority.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.III/4/Exty./553/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.01.16 14:34:45 +05'30'